

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
विच मंत्रालय
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 1975
असत, 1975

शुद्धि पत्र

No. 1106

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 2 जुलाई 1973 के पृष्ठ 1133 से 1140 तक प्रकाशित भारत सरकार के विच मंत्रालय (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का० वा० 369 (अ) में कृपया निम्नलिखित संशोधन कर लिए जायें:-

1. पृष्ठ 1133 पर नीचे से छठी पंक्ति में 'शब्द' के स्थान पर 'शब्दाँ' पढ़ा जाय।
2. पृष्ठ 1133 पर अंतिम पंक्ति में 'में जाय, 'शब्द, अंक' के स्थान पर 'में जाय, 'शब्द, अंक' पढ़ा जाय।
3. पृष्ठ 1134 पर ऊपर से चौथी पंक्ति में 'अंक' के स्थान पर 'अंकाँ' पढ़ा जाय।
4. पृष्ठ 1135 पर ऊपर से दूसरी पंक्ति में '13 में' के स्थान पर '13 क में' पढ़ा जाय।
5. इसी पृष्ठ पर ऊपर से दसवीं पंक्ति में '(i)' के स्थान पर '(i)' पढ़ा जाय तथा 'सन्दाय' के स्थान पर 'संदाय' पढ़ा जाय।
6. इसी पृष्ठ पर ऊपर से ग्यारहवीं पंक्ति में '(i)' के स्थान पर '(i)' पढ़ा जाय।
7. इसी पृष्ठ पर ऊपर से तेरहवीं पंक्ति में 'प्ररूप स्थापित' के स्थान पर 'प्ररूप अंतःस्थापित' पढ़ा जाय।
8. इसी पृष्ठ पर ऊपर से चौदहवीं पंक्ति में '13 घ' के स्थान पर '13 घ' पढ़ा जाय।

9. पृष्ठ 1135 पर नीचे से बारहवीं पंक्ति में 'हं' के स्थान पर 'हँ' पढ़ा जाय ।
10. इसी पृष्ठ पर नीचे से आठवीं पंक्ति में 'प्रत्याशी' के स्थान पर 'प्रत्याशा' पढ़ा जाय ।
11. पृष्ठ 1136 पर नीचे से नौवीं पंक्ति में 'स्त्रात' के स्थान पर 'श्रात' पढ़ा जाय ।
12. इसी पृष्ठ पर अन्तिम पंक्ति में 'लगू' के स्थान पर 'लागू' पढ़ा जाय ।
13. पृष्ठ 1137 पर नीचे से नौवीं पंक्ति में 'विवरण' के स्थान पर 'विवरण' पढ़ा जाय ।
14. इसी पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति में 'छात्र' के स्थान पर 'छात' पढ़ा जाय ।
15. पृष्ठ 1138 पर ऊपर से सातवीं पंक्ति में '(1)' के स्थान पर '(1)' पढ़ा जाय ।
16. इसी पृष्ठ पर ऊपर से नौवीं पंक्ति में 'हं' के स्थान पर 'हँ' पढ़ा जाय ।
17. पृष्ठ 1139 पर ऊपर से बारहवीं पंक्ति में 'विदिष्ट' के स्थान पर 'विनिदिष्ट' पढ़ा जाय ।
18. इसी पृष्ठ पर नीचे से बारहवीं पंक्ति में 'म द' के स्थान पर 'मद' पढ़ा जाय तथा 'संस्थांक्ति' के स्थान पर 'संस्थांक्ति' पढ़ा जाय ।
19. इसी पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति में 'कुर्वा' के स्थान पर 'कुटुम्बा' पढ़ा जाय ।

(सं॥ ०६ / फा० सं० 142(16) / 73-टी० पी० सं०)

(जा० पी० मारदाज)

सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड